170

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 54–दो/2007 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 567 अ–6/1993–94 अपील

शिव प्रताप वर्मा उर्फ शिव प्रसाद
पुत्र स्वर्गीय सीताराम वर्मा
साकिन 42 जुगयाना झॉसी उ0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र छिमाधर गौतम निवासी खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश
2– क्रॉतिकुमार पुत्र श्यामसुन्दर पोद्धार निवासी चन्देला होटल खजुराहो तहसील राजनगर
3– बाबूलाल पुत्र हीरालाल धोबी निवासी चंदेलनगर खजुराहो जिला छतरपुर
4– पल्टुवा पुत्र ग्यादीन धोबी
5– लटकना पुत्र ग्यादीन धोवी
6– वृन्दावन पुत्र पिरया धोबी
7– चुनुवा पुत्र पिरया धोबी
8– गणेश पुत्र जगदीश गौतम
9– प्रेम पुत्र फुन्दी धोबी
10–श्रीमती तारादेवी पत्नि गंगा प्रसाद पुष्पद
क्रमांक 3 से 11 निवासी खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.वर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 21-7 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 567 अ-6/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार राजनगर के समक्ष बाबूलाल ने आवेदन दिनांक 3-1-1968 प्रस्तुत कर बताया कि उसने हीरालाल से ग्राम खजुराहो स्थित भूमि सर्वे कमांक 1837 में से उसके हिस्सा 1/3 की 5-12 एकड़ भूमि दिनांक 20-12-1965 को कय की है, विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6/अ-6/1967-68 पंजीबद्ध किया तथा प्रकरण सुनवाई में लिया। कॉतिकुमार पुत्र श्यामसुन्दर पोद्दार ने नायव तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की कि यही भूमि उसने गयादीन, गुडडी के पुत्र लटकन, बल्दू, पिरब आदि से विकय पत्र दिनांक 26-12-1967 से कय की है इसलिये बाबूलाल के बजाय उसका नामांत्रण किया जाय।

खजुराहो स्थित भूमि सर्वे नंबर 1837 कुल रकबा10.24 एकड थी जो पोला, कन्हैया पुत्र बन्टी धोबी के नाम थी जिसमें से कन्हैया धोबी ने स्वयं् के हिस्से पर 1/2 अर्थात 5-24 एकड़ भूमि होती है। नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनॉक 30-6-71 से कॉतिकुमार का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालयों में निम्न अपील/निगरानी हुई हैं:-

(1) एस0डी0ओ0राजनगर प्र.क. 113/70-71 अपील - आदेश दिनांक 22-5-72 से अपील स्वीकार। हीरालाल,गयादीन,गुन्दी के लड़के लटकन, पल्ट, प्रेम वगैरह के नाम दर्ज कराई।

(2) अपर आयुक्त, सागर प्र.क.30अ-6/72-73 आदेश दि. 15-6-73 से अपील अस्वीकार

(3) राजस्व मण्डल,ग्वालियर प्र.क.228-4/1973 आदेश दिनांक 18-11-74 अधी.न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त - तथा 1-1-70 को भूमिस्वामी घोषित होने होने वाले कास्तकार हीरालाल,गयादीन,गुन्दी के लड़के लटकन, पल्ट, प्रेम वगैरह के नाम दर्ज पूर्ववत् रखते हुये एस.डी.ओ. को पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित।

प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 18-11-74 के पालन में पुर्नसुनवाई कर आदेश दिनांक 13-6-1994 पारित किया है तब तक शासकीय अभिलेख में भूमि हीरालाल,गयादीन,गुन्दी के लड़के लटकन, पल्ट, प्रेम वगैरह के नाम दर्ज रही और इसी भूमि में से प्रेम सहखातेदार ने स्वयं् के हिस्से में से 0.26 डिसमिल आवेदक शिव प्रताप वर्मा उर्फ शिव प्रसाद पुत्र स्वर्गीय सीताराम वर्मा को वर्ष 1973 में विकय कर दी एंव विकय पत्र पर से तहसील न्यायालय व्दारा केता का नामान्तरण भी कर दिया।

3/ राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण कमांक 7/अ-6/1989-90 में सुनवाई करते हुये प्रकरण के उन्मान में वर्णित पक्षकारों के बीच हुये समझौते के आधार पर आदेश दिनॉक 13-6-1994 पारित कर दिया तथा पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा दिनॉक 10-6-1990 स्वीकार कर तद्नुसार प्रकरण निर्णीत किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक कमांक 567 अ-6/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2006 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा आवेदक के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 228-4/1973 में पारित आदेश दिनांक 18-11-74 के कम में अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने अपील प्रकरण में बाबूलाल के हित में विकय पत्र दिनांक 3-1-1968 के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ से ही कार्यवाही विचार में ली है क्योंकि राजस्व मण्डल व्दारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर नामान्तरण की कार्यवाही के करने के निर्देश दिये थे। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 7/89-90 की अपील मेमो के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह अपील बाबूलाल पुत्र छिमाधर व्दारा कांतिकुमार एंव अन्य 9 के विरूद्ध दायर की थी जिसमें आवेदक शिवप्रताप को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि आवेदक शिव प्रताप वर्मा रिकार्डेड सहखातेदार प्रेम से उसके हिस्से में से 0.26 डिसमिल भूमि 30-6-1973 को कय कर चुका है और तहसील न्यायालय व्दारा वर्ष 1973 में उसका नामान्तरण भी कर दिया गया है अर्थात वह वर्ष 1973 से आगे के वर्षो में निरन्तर रिकार्डेड भूमिस्वामी है।

अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना भी आदेश दि. 13.6.93 के निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है - " **जहॉ तक शिवप्रसाद व्दारा प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान 0.26 डि.भूमि कय करने का प्रश्न है उस पर पहले ही कॉतिकुमार व्दारा कय करके स्वत्व अर्जित किया जा चुका है। अतएव उस पर केता शिवप्रसाद को कोई बैध स्वत्व अर्जित हुआ नहीं माना जा सकता।**" विचार योग्य है कि आवेदक को अपील प्रकरण में पक्षकार सॅयोजित नहीं किया गया, सुनवाई हेतु आहुत नहीं किया गया, विकय पत्र से एंव नामांत्रण के वाद बैध स्वत्व उसने अर्जित किया है अथवा नहीं ? पक्ष

प्रस्तुत करने एंव बचाव का अवसर नहीं दिया है, अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक के सम्बन्ध में उक्तनुसार लिया गया निर्णय विधि एंव प्रकिया के विपरीत है।

जहॉ तक कॉति कुमार अथवा बाबूलाल के विकय पत्रों पर से हक अर्जन का प्रश्न है - विकय पत्र के आधार पर उक्त केतागण के बैध हक पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा अनुसार दिये गये निर्णय दिनॉक 13-6-1993 के कारण शुप्त हैं । राजस्व न्यायालयों के आदेश से विकेता प्रेम रिकार्डेड भूमिस्वामी वर्ष 1973 में था और उसके व्दारा विकय पत्र दिनॉक 30-6-1973 से भूमि आवेदक के हित में विकय की है तद्नुसार केता आवेदक का नामान्तरण वर्ष 1973 में कय की गई भूमि 0.26 डिसमिल पर हुआ है ऐसी स्थिति में कॉतिकुमार पोद्वार एंव बाबूलाल गौतम के बीच हुये राजीनामे के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा पारित आदेश 13-6-1994 को आवेदक शिवप्रताप पर बन्धनकारी नहीं माना जा सकता।

6/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्को के दौरान व्यक्त किया कि जब भूमि कॉतिकुमार पोद्वार एंव बाबूलाल गौतम व्दारा विकय पत्र भूमि से कय करने के कारण केता आवेदक को वाद विचारित भूमि में स्वत्व नहीं पहुंचता है एंव केता कॉतिकुमार पोद्वार एंव बाबूलाल गौतम के बीच स्वत्व का विवाद होने से अनुविभागीय अधिकारी ने राजीनामे के आधार पर मामला निर्णीत कर दिया है इसलिये इस निगरानी को निरस्त किया जाय। विद्वान अभिभाषक के इस तर्क पर विचार किया गया - स्वत्व का मामला न तो अनुविभागीय अधिकारी निराकृत कर सकते हैं और न ही स्वत्व का मामला विनिश्चित करने के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम है। केता शिवप्रताप वर्ष 1973 के रिकार्डेड भूमिस्वामी अंकित चला आ रहा है एंव कॉतिकुमार पोद्वार एंव बाबूलाल गौतम रिकार्डेड भूमिस्वामी अंकित नहीं रहे हैं । रिकार्डेड

भूमिस्वामी प्रेम ने आवेदक के हित में भूमि विक्रय करने से विक्रय पत्र को चुनौती देने अथवा निरस्त करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण अनावेदक अभिभाषक व्दारा उठाई स्वत्व एंव विक्रय पत्र की शून्यता की आपत्ति स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि आवेदक के हित में विक्रय पत्र के आधार पर वर्ष 1973 में राजस्व न्यायालय व्दारा मात्र रिकार्ड अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 567अ-6/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 15-11-2006 तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक 6/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-1993 का ऑश भाग (आवेदक शिवप्रसाद व्दारा क्रय की गई भूमि 0.26 डि0 तक) निरस्त किये जाते हैं एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के शेष भाग को यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर